## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
**(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)**

**अपीलार्थी**

धनाराम पुत्र धुडा जी, जाति– कलबी, निवासी– मारुति शोरुम के पास, रेवदर, जिला– सिरोही

**बनाम**

**प्रत्यर्थी**

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर, जिला– सिरोही
2. सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड, रेवदर, जिला– सिरोही

**राजस्व अपील संख्या: 39/2021**

**"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"**

**उपस्थिति:**

1. अधिवक्ता श्री मुन्नवर हुसैन, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या–1 (एक) की ओर से

**–: निर्णय :–** **दिनांक 24 फरवरी, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, रेवदर द्वारा प्रकरण संख्या 3/2021 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 03.9.2021 बाबत ग्राम रेवदर के खसरा संख्या 953/8 रकबा 0.06 बीघा भूमि का अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या–1 (एक) की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या–2 (सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड, रेवदर) सुनवाई तिथि 27.9.2021, 05.10.2021 व 26.10.2021 को उपस्थित हुये एवं दिनांक 26.10.2021 को अपील का जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 21.2.2022 को सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड, रेवदर उपस्थित नही हुये। प्रत्यर्थी सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड, रेवदर द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया है कि मौके पर बनी नहर की खसरा नंम्बर 953/8 रकबा 0.06 बीघा में लम्बाई के अनुपात में क्षेत्रफल अनुसार अवाप्तशुदा भूमि का नाप नक्शें में किया गया, जिसके आधार पर सिंचाई विभाग के नाम दर्ज भूमि की सीमा तय की गई।

(3) प्रकरण में दिनांक 21.2.2022 को अपीलार्थी के अधिवक्ता व प्रत्यर्थी संख्या–1 की ओर से पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहायक [illegible] जल संसाधन उपखण्ड, रेवदर की रिपोर्ट के आधार पर [illegible] है जो विधि सम्मत नही है। अधीनस्थ न्यायालय से [illegible] अपीलार्थी ने अधीनस्थ [illegible] पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:09:03 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय में बचाव में पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिवक्ता नियुक्त कर जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा था उसके बाद पंचायत आम चुनाव आ जाने से आगे की तारीख तय किये बिना ही पंचायत आम चुनाव के बाद अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अप्रार्थी को अनुपस्थित बताकर एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 07.12.2020 के अनुसार मौके पर वर्तमान में जिस स्थान पर नहर बनी हुई है उसकी राजस्व नक्शें में तरमीम नही है, परन्तु मौके पर बनी हुई नहर की उक्त खसरा नम्बरों में लम्बाई के अनुपात में क्षेत्रफल अनुसार अवाप्तशुदा भूमि का नाप नक्शें में किया गया, उसके आधार पर मौके पर सिंचाई विभाग के नाम दर्ज भूमि की सीमा तय की गई, तय सीमा के अनुसार अपीलार्थी का आधा भाग खातेदारी भूमि में आ रहा है तथा शेष आधा भाग सिंचाई विभाग की भूमि में आ रहा है। इस मौका फर्द से यह तथ्य साबित होता है कि विवादित भूमि की राजस्व नक्शें में तरमीम की हुई नही है, जिस कारण से यह कहना संभव नही है कि अपीलार्थी द्वारा मौके पर किसी भी प्रकार का कोई तथाकथित अतिक्रमण किया गया है। यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को जवाब व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया होता तो अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में इस तथ्य को प्रस्तुत करता। यह कि अपीलार्थी का सिंचाई विभाग की भूमि पर मौके पर कोई अतिक्रमण नही है, बल्कि अपीलार्थी अपने खातेदारी भूमि पर काबिज है। विवादित भूमि का राजस्व नक्शें में तरमीम के अभाव में अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिक्रमी ठहराया जाना किसी भी रुप में न्याय संगत नही है। अत: अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावे। जबकि पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड, रेवदर द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध ग्राम रेवदर के खसरा संख्या 953/8 रकबा 0.06 बीघा भूमि जो सिंचाई विभाग के नाम दर्ज है पर पक्की दुकान बनाकर अतिक्रमण करने से धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के अधिवक्ता का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ एवं जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समय दिया गया, लेकिन अपीलार्थी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में बचाव में जवाब एवं साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत नही किये गये। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 03.9.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी उपस्थित नही हुआ। यह कि मौका फर्द दिनांक 07.12.2020 के अनुसार वर्तमान में जिस स्थान पर नहर बनी हुई है उसके राजस्व नक्शें की तरमीम नही है, परन्तु मौके पर बनी हुई नहर की खसरा संख्या 953/7 व 953/8 में लम्बाई के अनुपात में उक्त क्षेत्रफल अनुसार अवाप्तसुदा भूमि का नाप नक्शें में किया गया, उसके आधार पर मौके पर सिंचाई विभाग के नाम दर्ज भूमि की सीमा तय की गई। तय सीमा के अनुसार धना पुत्र धुडा कलबी का निर्माण का लगभग आधा भाग खसरा संख्या 953/8 रकबा 0.06 बीघा भूमि में आ जाता है जो सिंचाई विभाग के नाम से दर्ज है। इस प्रकार, अधीनस्थ न्यायालय ने बाद [illegible] विधि अनुरूप निर्णय पारित किया है। अत: अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

....पेज तीन पर

अति. जिला [illegible]

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड, रेवदर के पत्र क्रमांक/स.अ./ज.स.रे./2021/151 दिनांक 06.8.2021 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेवदर में रिपोर्ट प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि ग्राम रेवदर के खसरा संख्या 953/8 रकबा 0.06 बीघा में नहर की भूमि पर श्री धना पुत्र धुडाजी, जाति- कलबी, निवासी- रेवदर के द्वारा अतिक्रमण कर पक्की दुकान का निर्माण किया जा रहा है, इसलिये अतिक्रमी के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावे। सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड, रेवदर की उक्त रिपोर्ट पर अपीलार्थी के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलार्थी की ओर से दिनांक 17.8.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उसके अधिवक्ता उपस्थित हुये एवं जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा। उसके बाद नियत तिथि 23.8.2021 को अपीलार्थी उपस्थित हुआ एवं पीठासीन अधिकारी पंचायत आम चुनाव में व्यस्त होने से आगामी तारीख पेशी रखी गई, परन्तु आगामी सुनवाई तिथि 03.9.2021 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को अनुपस्थित में एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई एवं जवाब प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नही किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 07.12.2020 के अवलोकन से यह पाया गया कि मौके पर वर्तमान में जिस स्थान पर नहर बनी हुई है उसके राजस्व नक्शें में तरमीम नही है। इससे, प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि की मौके पर तरमीम की हुई नही है। उक्त मौका फर्द दिनांक 07.12.2020 में अपीलार्थी द्वारा करवाये गये निर्माण का आधा भाग अपीलार्थी की खातेदारी भूमि में होना बताया गया है। इससे यह भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि से लगते ही अपीलार्थी की खातेदारी भूमि स्थित है। इस प्रकार, प्रकरण में विवादित भूमि की राजस्व नक्शें में तरमीम के अभाव में यह तथ्य साबित नही होता है कि अपीलार्थी का विवादित भूमि (जो सिंचाई विभाग के नाम दर्ज है) पर अतिक्रमण है अथवा अपीलार्थी उसकी खातेदारी भूमि पर काबिज है? ऐसी स्थिति में, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध विवादित भूमि से बेदखल करने के पारित आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विवादित भूमि की राजस्व नक्शें में तरमीम करवाने व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को विवादित भूमि से बेदखल करने के पारित निर्णय/आदेश दिनांक 03.9.2021 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेवदर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि की राजस्व नक्शें में तरमीम करवाकर अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khodkhod
Date: 2022.06.06 18:09:03 IST
Reason: SelfAttested

(काळूराम खोड़)
अति. जिला कलक्टर, सिरोही